

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर


आदेश

क्रमांक 841 / गोपनीय / 2018  
दो-2-7/57

जबलपुर, दिनांक 04 जुलाई, 2018

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री गोपेश गर्ग, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सारंगपुर, जिला राजगढ़ के निवेदनानुसार, उनकी सेवा-पुस्तिका एवं सेवा अभिलेख में, उनकी शैक्षणिक योग्यता में एल-एलएम की उपाधि अंकित करने की अनुमति एतद्वारा प्रदान करता है।

आदेशानुसार,

  
\* (अरविंद कुमार शुक्ला)  
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक 842 / गोपनीय / 2018  
दो-2-7/57

जबलपुर, दिनांक 04 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि:-

- 1 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ को उनके पृष्ठांकन क्रमांक-17/तीन-13-21/16, दिनांक 04 जनवरी, 2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2 श्री गोपेश गर्ग, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सारंगपुर, जिला राजगढ़ को उनके आवेदन पत्र क्रमांक 206/17, दिनांक 22.12.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
- 3 रजिस्ट्रार (आई0टी0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 5 अनुभाग अधिकारी, पेन्शन/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 6 सहायक, गोपनीय शाखा/ डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, गोपनीय शाखा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को क्रमशः सेवा-अभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

  
\* (अरविंद कुमार शुक्ला)  
रजिस्ट्रार जनरल